सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 448 राँची, सोमवार, 30 माघ, 1939 (श०)
19 फरवरी, 2018 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2017

संख्या-ख०नि०(विविध)-153/05-2852/एम०,-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में निम्नांकित संशोधन करते हैं ।

(i) **(क)** यह नियमावली " झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 " कहलायेगी ।

(ख) यह संशोधन नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

(ii) नियम-9(11) के उपरांत नियम-9(12) एवं 9(13) निम्न प्रकार अंतस्थापित किया जाता है:-

नियम-9(12)- नियम-9(1)(घ), 9(1)(ड़), 9(1)(च), 9(1)(छ) तथा 9(10) पूर्व से स्वीकृत/आवेदित लघु खनिज के 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र पर भी लागू होंगें ।

नियम-9(13)-अधिसूचना संख्या-1653/एम०, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 के द्वारा अधिसूचित वैसे 31 लघु खनिज जिन पर पूर्व के वृहत खनिज के रूप में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था एवं जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-10A(2)(b) के तहत

सुरक्षित थे, पर खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2017 के मामले में भी सुरक्षित मानते हुए खनन पट्टा निष्पादन की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(iii) नियमः-12(1), 12(2), 12(3) एवं 12(4) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

नियम-12(1):- झारखण्ड राज्य में बालू का उठाव एवं प्रेषण Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार किया जाएगा ।

नियम-12(2):-जिलास्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से जिला/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण बालू धारित क्षेत्र का ब्लॉक चिन्हित कर नक्शा बनाया जाएगा, जिसमें वन भूमि, गैर वन भूमि और रैयती भूमि के साथ पुल-पुलिया एवं अन्य आधारभूत संरचना को भी उसमें प्रदर्शित किया गया हो ।

नियम-12(3)- चिन्हित बालूघाट ब्लॉक के संचालन हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं सभी वैधानिक अनापत्ति/सहमति जो अनुमान्य हो सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा ।

नियम-12(4)- Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के तहत झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा संचालित बालूघाटों अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा किए जाने पर झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को Deemed Lessee माना जाएगा ।

(iv) नियम-54(6) में प्रयोग किए गए शब्द ''खनिजों का मूल्य'' के स्थान पर ''खनिजों के मूल्य की दुगूनी राशि'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(v) नियम 55 को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम 55- कार्य विभागों को लघु खनिजों की आपूर्ति:

सरकार के द्वारा संचालित विकास कार्यों में संलग्न सभी कार्य विभाग/संवेदक/ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्यों में उपयोग किया जाने वाला अथवा उपयोग किया गया लघु खनिज वैध खनन पट्टा धारकों या खनन अनुज्ञाप्ति धारकों से वैध चालान के माध्यम से क्रय किया गया है, अथवा खनन पट्टा या खनन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है । ऐसा करने में असफल रहने पर उन्हें उपयोग/आपूर्ति किये गये खनिज के स्वामिस्व के साथ-साथ स्वामिस्व के बराबर की राशि दण्ड स्वरूप जमा करना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 448 -- 50